



# उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उल्लंघन प्रदेश सरकार का उपकरण)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN No. U40101UP2004SGC028687

संख्या- 3268-पारे0अनु0-16ए/पाट्राकालि/2017-74-पारे0अनु0-16/2013

दिनांक 01 सितम्बर, 2017

## कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.08.2017 को परिचालन विधि से पारित किये गये संकल्प एवं तत्क्रम में ऊर्जा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्रांक 05/2017/1713/24-पी-2-17-सा०(144)/2017 दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुसार उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों के वेतनमान एवं भले सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किए जाने एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. ऐसे कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्णकालिक सेवा में थे, उनको पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक-1) में वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा, परन्तु

कोई कार्मिक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली वेतनवृद्धि या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

ऐसे मामलों में जहां कार्मिक को दिनांक 01 जनवरी, 2016 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह कार्मिक ऐसी पदोन्नति अथवा समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

ऐसे मामलों में जहां किसी कार्मिक के पद के ग्रेड-वेतन का उच्चीकरण दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, वहां उसे यह विकल्प होगा कि वह ग्रेड-वेतन के उच्चीकरण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण-1 वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान में ही स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण-2 उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद कारपोरेशन सेवा में किसी पद पर प्रथम नियुक्त होने वाले कार्मिक अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी कार्मिक के लिये स्वीकार नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण-3 जहाँ कहीं कोई कार्मिक मूल नियम-22 या किसी/अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

**विकल्प का 2.** (1) उपर्युक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को अपना विकल्प लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर देना होगा। यह विकल्प संबंधित कार्मिक के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतनपर्ची जारी करने वाले अधिकारी, जो भी सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुरितिका रखता हो, को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिये,

### पट्टनु

- (i) ऐसे कार्मिक जो उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि को अवकाश पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश के बाहर हैं, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जायेगा कि वह भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन माह के अन्दर उक्त प्राधिकारी के पास पहुँच जाये।
- (ii) सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 जनवरी, 2016 को यदि निलम्बन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अन्दर कर सकता है।

(2) सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपने विकल्प की सूचना इस आदेश के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-3) पर एक वचनबंध (Undertaking) के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी। कार्यालय प्रमुख/वेतन निर्धारण करने वाला अधिकारी वचनबंध प्राप्त किये बिना सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। वचनबंध को सम्बन्धित कर्मी की सेवा पुरितिका में सुरक्षित रखना उक्त अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3) यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपना विकल्प इस आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह की अवधि में सम्बन्धित प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि उसने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

**टिप्पणी-1** ऐसे व्यक्तियों, जिनकी सेवायें दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, वह उपर्युक्त प्रस्तर के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

**टिप्पणी-2** ऐसे व्यक्तियों, जिनकी दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिये सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तिथि से इस संशोधित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर लिया है।

**टिप्पणी-3** ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जिसके लिये उन्हें अवकाश वेतन देय बनता है, पर थे, उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।

**वर्तमान 3-** किसी कर्मचारी की “वर्तमान परिलक्षियाँ” का आशय दिनांक 01 जनवरी, 2016 को आहरित मूल वेतन एवं परिलक्षियों उस पर देय महँगाई भत्ते के योग से है, अर्थात् सम्बन्धित कार्मिक को उसके साधारण वेतनमान अथवा समयबद्ध की गणना वेतनमान/ए०सी०पी के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्राप्त प्रोन्नति वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड/वित्तीय स्तरोन्नयन/उच्च वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी, 2016 को प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उस पर देय महँगाई भत्ते के योग से है। साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, परिलक्षियों में सम्मिलित माना जायेगा।

पदों का 4. वेतन मैट्रिक्स में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण पद हेतु विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन अथवा स्तर वेतनमान के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर (Level) के आधार पर होगा।

**वेतन मैट्रिक्स 5.(1)** कोई कार्मिक, जो वेतन मैट्रिक्स में उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 अथवा बाद की तिथि से विकल्प का चयन करता है या निर्धारित समयावधि में उसके द्वारा कोई विकल्प न दिये जाने के कारण यह मान लिया जाता है कि उसने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने का विकल्प दिया है, का वेतन मैट्रिक्स में वेतन, उसे मौलिक पद पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन एवं उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के मूल वेतन के आधार पर निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जायेगा :—

**सभी कर्मचारियों के मामले में —**

- (i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य (Applicable) लेवल में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरूपी (Corresponding) कोई समरूप (Identical) राशि है, तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य लेवल के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।
- (ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

**उदाहरणस्वरूप —** वेतन बैण्ड-1 रु0 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2600 के पदधारक, जिसका दिनांक 01 जनवरी 2016 को बैण्ड वेतन रु0 10450 था, का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण (संलग्नक-4) के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उप प्रस्तर के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक का मौलिक पद एवं स्थानापन्न पद के सन्दर्भ में निर्धारित मूल वेतन में से जो अधिक होगा, वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक का पुनरीक्षित मूल वेतन होगा।

(2) कोई कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अवकाश पर है और उसे अवकाश वेतन देय है, तो वह दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

(3) कोई कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन अवकाश पर है तो वह दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्राप्त कर सकेगा।

(4) निलम्बन के अधीन कार्मिक विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका वेतन निर्धारण, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिये जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(5) यदि स्थायी कार्मिक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत है तथा इन दोनों पदों (स्थायी पद एवं स्थानापन्न पद) के लिये लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन का विलय एक ही लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उपर्युक्त प्रस्तर-5(1) के अधीन स्थानापन्न पद के सन्दर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका वास्तविक मूल वेतन माना जायेगा।

(6) यदि किसी कार्मिक के मामले में वर्तमान परिलक्षित परिलक्षियों से अधिक हैं, तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों में किया जायेगा।

(7) यदि कोई कार्मिक दिनांक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान में अपने संवर्ग के किसी अन्य कनिष्ठ कार्मिक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसका मूल वेतन कनिष्ठ से कम निर्धारित होता है, तो उसका मूल वेतन कनिष्ठ के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(8) यदि किसी कार्मिक को इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व वैयक्तिक वेतन मिल रहा है और पुनरीक्षण के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन और वैयक्तिक वेतन का योग पुनरीक्षित मूल वेतन से अधिक हो जाता है, तो अन्तर की धनराशि उस कार्मिक को वैयक्तिक वेतन के रूप में दी जायेगी और उसका समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों में किया जायेगा।

(9) (i) ऐसे मामलों में जहाँ कोई वरिष्ठ कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अपने कनिष्ठ जिसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है, से कम वेतन निर्धारित होता है तो वरिष्ठ कार्मिक का वेतन उसके कनिष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन कनिष्ठ कार्मिक की प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी, अर्थात्

- (क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों कार्मिक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया हैं वे एक ही संवर्ग में समरूप (*Identical*) पद हों,
- (ख) निम्नतर और उच्चतर पदों की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल समरूप (*Identical*) हों,
- (ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ कार्मिक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम-22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्राविधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो,

बशर्ते कि यदि किसी कनिष्ठ कार्मिक को दी गई किसी अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान में वरिष्ठ कार्मिक से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो ऐसे मामलों में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी अर्थात् वरिष्ठ कार्मिक का मूल वेतन कनिष्ठ के समान नहीं किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त उप प्रस्तर-9(i) के अनुसार वरिष्ठ कार्मिक के वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश मूल नियम-27 के अधीन जारी किये जायेंगे। वरिष्ठ अधिकारी को अगली वेतन वृद्धि उसके वेतन पुनर्निर्धारण के पश्चात् अपेक्षित अर्हकारी सेवा पूरी करने की तिथि से देय होगी।

**01 जनवरी, 6.** दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का 2016 को मूल वेतन उस पद, जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अथवा उसके प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोषिका की राशि) पर निर्धारित किया जायेगा।

**भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण** बशर्ते, कि दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात् और इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का वेतन, वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन/वेतनमान में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुसार वर्तमान परिलक्षियाँ उस पद, जिस पर उसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल

के न्यूनतम स्तर (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) से अधिक हो जाती है तो ऐसे अन्तर का भुगतान उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में किया जायेगा और उसका समायोजन आगामी वेतन वृद्धियों में किया जायेगा।

**वेतन 7.** वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वह होगा, जो उसे वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन से उक्त लेवल में लम्बवत् चलन के फलस्वरूप अगली कोष्ठिका की वेतन वृद्धि राशि है।

**उदाहरणस्वरूप-** यदि किसी कार्मिक का मूल वेतन वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल-5 (ग्रेड-वेतन रु0 3000 के साथ) में रु0 35,500 के स्तर पर निर्धारित है, तो अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप उसका मूल वेतन उस प्रयोज्य लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि अर्थात रु0 36,600 होगा और इसके उपरान्त अगली वेतन वृद्धि के फलस्वरूप उसका वेतन उस प्रयोज्य लेवल में उससे अगला अर्थात रु0 37,700 हो जायेगा।

**वेतन 8.(1)** 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 मैट्रिक्स में जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि के अगली अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।

**वेतन वृद्धि की तिथि** (2) ऐसा कर्मचारी, जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिया गया है, को वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।

#### उदाहरण-

(क) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड-वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसा कर्मचारी जिसे दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड-वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतन वृद्धि 01 जनवरी 2017 को देय होगी और इसके बाद में अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं, तो उस लेवल में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

**वेतन 9. (1)** दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा उसके पश्चात् किसी कर्मचारी की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर उसका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

**पदोन्नति पर वेतन निर्धारण** एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जायेगी, जिससे कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद, जिसमें प्रोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य राशि तलाशी जायेगी। यदि उक्त लेवल के किसी कोष्ठिका में उक्त राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध है तो वही राशि उसका मूल वेतन होगा और यदि वह राशि उस लेवल, जिसमें प्रोन्नति दी गई है, की किसी कोष्ठिका में उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली कोष्ठिका की राशि उसका मूल वेतन होगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण (संलग्नक-5) पर है।

(2) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (**संलग्नक-1**) के स्तम्भ-7 में ग्रेड वेतन रु0 4600/- के सापेक्ष दर्शित पे—मैट्रिक्स मात्र अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में प्रभावी होगी। अन्य संवर्ग/श्रेणी के कार्मिकों के सम्बन्ध में यह पे—मैट्रिक्स ए०सी०पी० अथवा अन्य किसी भी वेतन निर्धारण/अधिष्ठान लाभ के प्रयोजनार्थ लागू नहीं होगी अर्थात् इस पे—मैट्रिक्स को इgnor कर दिया जायेगा। इस प्रकार के मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण (**संलग्नक-6**) पर है।

(3) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स (**संलग्नक-1**) के स्तम्भ-9 में दर्शित पे मैट्रिक्स केवल ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू होगी जिनको तृतीय समयबद्ध वेतनमान रु0 8550—13500 के सापेक्ष छठे वेतन आयोग की पुनरीक्षित संरचना में ग्रेड वेतन रु0 5400 / 6600 के साथ वेतन बैण्ड-2 (9300—34800) अनुमन्य कराया गया है। उपरोक्त पे—मैट्रिक्स अन्य कार्मिकों के मामलों में ए०सी०पी० अथवा अन्य किसी भी वेतन निर्धारण/अधिष्ठान लाभ हेतु लागू नहीं होगी अर्थात् इस पे—मैट्रिक्स को इgnor कर दिया जायेगा। इस प्रकार के मामलों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी उदाहरण (**संलग्नक-7**) पर है।

**अवशेष 10.** इस आदेश से आच्छादित कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा महँगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2017 भुगतान की (भुगतान दिनांक 01 अगस्त 2017 को देय) से नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी 2016 से 30 प्रक्रिया जून 2017 तक के देय अवशेष का भुगतान आयकर कटौती के अधीन निम्नानुसार 04 किश्तों में किया जायेगा :-

अवशेष से सम्बन्धित अवधि	वित्तीय वर्ष का माह जिससे पूर्व आहरण/भुगतान अनुमन्य नहीं होगा
01.01.2016 से 31.03.2016	अक्टूबर, 2017
01.04.2016 से 31.07.2016	अक्टूबर, 2018
01.08.2016 से 31.12.2016	अक्टूबर, 2019
01.01.2017 से 30.06.2017	अक्टूबर, 2020

- (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी। उक्तानुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से एक वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawl) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।
- (ii) अंशदायी भविष्य निधि के कार्मिकों के मामलों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा और मात्र अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से एक वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawl) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार आगणित अवशेष पर देय अंशदायी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान की धनराशि, सम्बन्धित कार्मिक के अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष का भुगतान किये जाने वाले कार्यालय स्तर से नियमानुसार जमा किया जायेगा।

- (iii) ऐसे कर्मचारी जिनका सामान्य भविष्य निर्वाह निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता न खुला हो, को उपरोक्तानुसार देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन०एस०सी० के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि खाते (पी०पी०एफ० एकाउन्ट) में जमा करा दिया जायेगा।

**11-** पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स **संलग्नक-1**, विकल्प का प्रारूप **संलग्नक-2**, वचनबंध का प्रारूप **संलग्नक-3** तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित उदाहरण **संलग्नक-4, 5, 6 व 7** पर उपलब्ध है।

### **संलग्नक : यथोपर्दि ।**

#### **निदेशक मण्डल की आज्ञा से ।**

सं० 3268-(1)-पारे०अनु०-१६ए/पाट्राकालि/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मा० ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. सचिव (वित्त), उ०प्र० शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१ एवं २), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त) /उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
14. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन – लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.08.2017 को परिचालन विधि से सम्पन्न बैठक में पारित किये गये संकल्प के अनुपालन में।
19. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० की वेबसाईट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

(ए०क० श्रीवाक्तव्य)  
उप सचिव (पारेषण)

उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 मे दिनांक 01.01.2006 से लागू वेतन ढाँचे के सापेक्ष  
दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन-मैट्रिक्स

क्रम सं.	वेतन डैण्ड	5200-20200					9300-34800			15600-39100		37400-67000			63000-78000	
		मुंड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600	5400	6600	8700	8900	10000
	तेवर	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100	56100	67700	123100	131100	144200	171400	
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700	57800	69700	126800	135000	148500	176500	
3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300	59500	71800	130600	139100	153000	181800	
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000	61300	74000	134500	143300	157600	187300	
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700	63100	76200	138500	147600	162300	192900	
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500	65000	78500	142700	152000	167200	198700	
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300	67000	80900	147000	156600	172200	204700	
8	24500	26800	27600	33400	36600	45200	55200	58600	65200	69000	83300	151400	161300	177400	210800	
9	25200	27600	28400	34400	37700	46600	56900	60400	67200	71100	85800	155900	166100	182700	217100	
10	26000	28400	29300	35400	38800	48000	58600	62200	69200	73200	88400	160600	171100	188200	223600	
11	26800	29300	30200	36500	40000	49400	60400	64100	71300	75400	91100	165400	176200	193800		
12	27600	30200	31100	37600	41200	50900	62200	66000	73400	77700	93800	170400	181500	199600		
13	28400	31100	32000	38700	42400	52400	64100	68000	75600	80000	96600	175500	186900	205600		
14	29300	32000	33000	39900	43700	54000	66000	70000	77900	82400	99500	180800	192500	211800		
15	30200	33000	34000	41100	45000	55600	68000	72100	80200	84900	102500	186200	198300	218200		
16	31100	34000	35000	42300	46400	57300	70000	74300	82600	87400	105600	191800	204200			
17	32000	35000	36100	43600	47800	59000	72100	76500	85100	90000	108800	197600	210300			
18	33000	36100	37200	44900	49200	60800	74300	78800	87700	92700	112100	203500	216600			
19	34000	37200	38300	46200	50700	62600	76500	81200	90300	95500	115500	209600				
20	35000	38300	39400	47600	52200	64500	78800	83600	93000	98400	119000	215900				
21	36100	39400	40600	49000	53800	66400	81200	86100	95800	101400	122600					
22	37200	40600	41800	50500	55400	68400	83600	88700	98700	104400	126300					
23	38300	41800	43100	52000	57100	70500	86100	91400	101700	107500	130100					
24	39400	43100	44400	53600	58800	72600	88700	94100	104800	110700	134000					
25	40600	44400	45700	55200	60600	74800	91400	96900	107900	114000	138000					
26	41800	45700	47100	56900	62400	77000	94100	99800	111100	117400	142100					
27	43100	47100	48500	58600	64300	79300	96900	102800	114400	120900	146400					
28	44400	48500	50000	60400	66200	81700	99800	105900	117800	124500	150800					
29	45700	50000	51500	62200	68200	84200	102800	109100	121300	128200	155300					
30	47100	51500	53000	64100	70200	86700	105900	112400	124900	132000	160000					
31	48500	53000	54600	66000	72300	89300	109100	115800	128600	136000	164800					
32	50000	54600	56200	68000	74500	92000	112400	119300	132500	140100	169700					
33	51500	56200	57900	70000	76700	94800	115800	122900	136500	144300	174800					
34	53000	57900	59600	72100	79000	97600	119300	126600	140600	148600	180000					
35	54600	59600	61400	74300	81400	100500	122900	130400	144800	153100	185400					
36	56200	61400	63200	76500	83800	103500	126600	134300	149100	157700	191000					
37	57900	63200	65100	78800	86300	106600	130400	138300	153600	162400	196700					
38	59600	65100	67100	81200	88900	109800	134300	142400	158200	167300	202600					
39	61400	67100	69100	83600	91600	113100	138300	146700	162900	172300	208700					
40	63200	69100	71200	86100	94300	116500	142400	151100	167800	177500						

विकल्प का प्रारूप

\* (1) मैं ..... दिनांक 01 जनवरी 2016 से

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूँ / करती हूँ।

\* (2) मैं ..... अपने निम्न उल्लिखित वास्तविक / स्थानापन्न पद के वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में

\* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि तक / मेरी पश्चात्‌वर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर ..... रूपये हो जाये / मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने / बन्द करने तक / ..... के पद पर मेरी प्रोन्ति / उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ / करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन .....

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम .....

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं - .....

दिनांक - .....

स्थान - .....

\* जो लागू न हो, उसे काट दें।


वचनबंध

मैं यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी कारपोरेशनादेश में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से कारपोरेशन को वापस किया जायेगा।

हस्ताक्षर .....


नाम .....

पदनाम .....



वेतन मैट्रिक्स में कार्मिक के वेतन निर्धारण हेतु उदाहरण।  
सामान्य मामलो में वेतन निर्धारण

वेतन बैण्ड पी0बी—1 रु0 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2600	वेतन बैण्ड	5200-20200				
		ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600
लेवल	1	2	3	4	5	
1	19900	21700	22400	27200	29800	
2	20500	22400	23100	28000	30700	
3	21100	23100	23800	28800	31600	
4	21700	23800	24500	29700	32500	
5	22400	24500	25200	30600	33500	
6	23100	25200	26000	31500	34500	
7	23800	26000	26800	32400	35500	
8	24500	26800	27600	33400	36600	
9	25200	27600	28400	34400	37700	
10	26000	28400	29300	35400	38800	



दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति / एसीपी० अनुमन्य होने पर  
वेतन निर्धारण का उदाहरण।

वेतन बैण्ड	5200-20200						9300-34800		
	ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700
3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300
8	24500	26800	27600	33400	36600	45200	55200	58600	65200
9	25200	27600	28400	34400	37700	46600	56900	60400	67200
10	26000	28400	29300	35400	38800	48000	58600	62200	69200

दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति / ए०सी०पी० अनुमत्य होने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रु० 4200 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल, लेवल 6	वेतन बैण्ड	5200-20200						9300-34800			15600-39100		
		ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600	5400	6600
		लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन रु० 46600		1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100	56100	67700
3. प्रोन्नति/एसी पी स्कीम के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप लेवल- लेवल 8		2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700	57800	69700
4. लेवल-6 में एक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन रु० 48000		3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300	59500	71800
5. लेवल-8 में रु० 48000 की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रु० 49000 सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रु० 49000		4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000	61300	74000
		5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700	63100	76200
		6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500	65000	78500
		7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300	67000	80900
		8	24500	26800	27600	33400	36600	45200	55200	58600	65200	69000	83300
		9	25200	27600	28400	34400	37700	46600	56900	60400	67200	71100	85800
		10	26000	28400	29300	35400	38800	48000	58600	62200	69200	73200	88400

**टिप्पणी-** वेतन बैण्ड 2 ग्रेड वेतन रु० 4600 के सापेक्ष वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 को इग्नोर किया जायेगा एवं इससे निकटतम उच्च मैट्रिक्स लेवल -8 में वेतन निर्धारित किया जायेगा।

दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति / ए०सी०पी० अनुमत्य होने पर वेतन निर्धारण का उदाहरण।

1.	सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रु० 4800 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल, लेवल 8	वेतन रु० 4800 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल, लेवल 8	वेतन रु० 4800 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में लेवल, लेवल 8	5200-20200						9300-34800			15600-39100		
				ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4600	4800	5400/ 6600	5400	6600
				लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19900	21700	22400	27200	29800	36800	44900	47600	53100	56100	67700	
2.	वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन रु० 56900			20500	22400	23100	28000	30700	37900	46200	49000	54700	57800	69700	
				21100	23100	23800	28800	31600	39000	47600	50500	56300	59500	71800	
				21700	23800	24500	29700	32500	40200	49000	52000	58000	61300	74000	
				22400	24500	25200	30600	33500	41400	50500	53600	59700	63100	76200	
				23100	25200	26000	31500	34500	42600	52000	55200	61500	65000	78500	
				23800	26000	26800	32400	35500	43900	53600	56900	63300	67000	80900	
				24500	26800	27600	33400	36600	45200	55200	58600	65200	69000	83300	
				25200	27600	28400	34400	37700	46600	56900	60400	67200	71100	85800	
				26000	28400	29300	35400	38800	48000	58600	62200	69200	73200	88400	
4.	लेवल—8 में एक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन रु० 58600														
5.	लेवल—10 में रु० 58600 की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अगली कोषिका की धनराशि रु० 59500 सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रु० 59500														

**टिप्पणी -** वेतन बैण्ड 2 ग्रेड वेतन रु० 5400/6600 के सापेक्ष वेतन मैट्रिक्स लेवल -9 को इनोर किया जायेगा एवं इससे निकटतम उच्च मैट्रिक्स लेवल -10 में वेतन निर्धारित किया जायेगा।